

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 291 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आवास फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री देवीलाल पिलानियां
कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालय:- 201-202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड, स्ववायर,
मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज. 302020
शाखा कार्यालय:- द्वितीय तल, पार्वती टॉवर, पोलो ग्राउण्ड, हरीराम मार्ग, चांदपोल
सीकर राज. 332001

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. भीवा राम सैनी पुत्र साधुराम सैनी

प्रथम पता:- वार्ड न. 04 सैनी कोठी लिसारिया जिला सीकर राज. 332712

द्वितीय पता:-खसरा न. 2130 / 1569 ग्राम लिसारिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला
सीकर राज. ।

2. कविता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद वार्ड न 04 नांगल नाथूसर जिला सीकर राज.

3. नरसी राम पुत्र साधूराम वार्ड न. 04 सैनी कोठी लिसारिया मुन्डरू जिला सीकर
राज. 332712.

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 23 मार्च, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री परिवेश कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः भीवा राम सैनी पुत्र साधुराम सैनी, कविता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद व नरसी राम पुत्र साधूराम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति सं. 1 खसरा नम्बर 2130 / 1569 ग्राम लिसारिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1245.5 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में अर्जुनलाल का मकान, दक्षिण

१

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



दिशा में जगदीश की भूमि, पूरब दिशा में रोड़ व पश्चिम दिशा में परसू सैनी की जमीन है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹7,50,000/- रूपये (अक्षरे रूपये सात लाख पचास हजार) का ऋण स्वीकृत** कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **05.08.2025** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **05.08.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **भीवा राम सैनी पुत्र साधुराम सैनी, कविता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद व नरसी राम पुत्र साधुराम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति सं. 1 खसरा नम्बर 2130/1569** ग्राम **लिसारिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1245.5 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में अर्जुनलाल का मकान, दक्षिण दिशा में जगदीश की भूमि, पूरब दिशा में रोड़ व पश्चिम दिशा में परसू सैनी की जमीन है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु




(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **23 मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर